न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 67/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. कसीया पुत्र देवाजी जाति माली निवासी सादड़ी तहसील देसूरी जिला पाली		1. गेना पुत्र देवाजी 2. ओगड़राम पुत्र मोडाजी 3. भंवरलाल पुत्र मोड़ाजी 4. मांगीलाल पुत्र डुंगारामजी 5. छगनलाल पुत्र डुंगारामजी 6. राजू पुत्र डुंगारामजी 7. पवनी पुत्री डुंगारामजी 8. कमला पुत्री डुंगारामजी 9. सुमटी पत्नी डुंगारामजी 10. सुरेश कुमार पुत्र भंवरलाल 11. रेखा पुत्री भंवरलाल 12. ममता पुत्री भंवरलाल 13. भावना पुत्री भंवरलाल 14. सजनों पत्नी भंवरलाल 15. दिलीपकुमार पुत्र भंवरलाल नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सजनों पत्नी भंवरलाल 16. मनीषा पुत्री भंवरलाल नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सजनों पत्नी भंवरलाल 17. हिमता पुत्र गुलाबजी 18. रामलाल पुत्र गुलाबजी 19. रमेश कुमार पुत्र गुलाबजी 20. घीसीबाई पत्नी गुलाबजी जातिगण माली निवासीगण सादड़ी तहसील देसूरी जिला पाली 21. राज. सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी भूमिधारी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 21 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 24.12.18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2011 गेना बनाम ओगड़राम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2016 एवं दिनांक 08.07.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 19 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी अपनी सह खातेदारी भूमि होना बताते हुए भूमि के विभाजन का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान् की तलबी हुए बिना ही दिनांक 22.07.2011 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर नियत सुनवाई से पूर्व ही पत्रावली तलब की जाकर आपसी बंटवाडा की लिखत अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित की गई। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में जो विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ, उसमें मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से की भूमि को पृथक करते हुए विभाजन किया गया एवं शेष सह खातेदारान् के हिस्से की भूमि को सम्मिलित रखा गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.10.2011 को प्रस्तुत हुआ, उस समय नियत तारीख पेशी दिनांक 18.11.2011 को थी। इसके बीच ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट को सूचना दिए पत्रावली दिनांक 04.11.2011 को तलब कर प्रकरण में पक्षकारान् की सहमति अंकित करते हुए पत्रावली पुनः दिनांक 18.11.2011 को नियत की, जिसमें दिनांक 21.111.2011 को अन्तिम डिक्री पारित की। उक्त निर्णय की न्यायालय हाजा के समक्ष दो पृथक पृथक अपीलें हुई, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया कि समस्त पक्षकारों की तामील के पश्चात, सभी पक्षकार सहमत हो तो बंटवाडा लिखत दिनांक 06.07.2008 के अनुरूप प्राथमिक डिक्री पारित की जावे अन्यथा मैरिट पर निर्णय एवं डिक्री पारित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में दिए गए निर्देशों एवं विधिक प्रावधानों की पालना किए बिना ही पूर्वानुसार ही प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री पारित कर दी, जो विधि विरूद्ध है। पक्षकार दिनांक 06.07.2008 को हुए लिखत विभाजन अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा अपने अपने विभाजन में प्राप्त हिस्से की भूमि में रहवासीय मकानात् बनाए हुए है तथा हिस्से मुजब काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से बंटवाडा लिखत अनुरूप रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से विभाजन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था एवं उसी अनुरूप

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्राथमिक डिक्री पारित कराने का निवेदन किया था, लेकिन जो विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, वह आपसी बंटवाडा लिखत के विपरित था, जो अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट को सुना गया एवं न ही अन्य सह खातेदारान् को सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान किया। अपीलाण्ट के हिस्से में जो भूमि आपसी बंटवाडा के अनुसार रही, उसके विपरित खसरा नम्बर 3984/1 कायम करते हुए उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से में दर्ज की गई है, जबकि मौके पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज करने के पश्चात अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स को सुनवाई हेतु नोटिस ही जारी नहीं किए एवं विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण माफिक विभाजन दिनांक 06.07.2008 के अनुरूप अन्तिम निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने बाबत आदेश पारित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी पक्षकारान् की सह खातेदारी भूमि थी, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/8वां हिस्सा था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.07.2011 को प्राथमिक डिक्री जारी की। उक्त डिक्री आपसी बंटवाडा लिखत के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु पारित की, जो पक्षकारान् की सहमति से होने के कारण इसमें किसी प्रकार के बयानात् की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु अपीलाण्ट के नाम जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट की पत्नी द्वारा तामील किया गया है, जो पर्याप्त तामील है। राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित था, अन्य उपस्थित ही नहीं हुए, तो लिखत दिनांक 06.07.2008 के सम्बन्ध में कोई विधिक बाधा ही नहीं थी। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जैर अपील विवादित आराजी को अपनी सह खातेदारी होना बताते हुए जैर अपील विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिक रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करते हुए वादी का 1/8 वां हिस्सा पृथक से राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का निवेदन किया। प्रकरण आदेशिका दिनांक 24.06.2011 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4, 7, 11 की तलबी हेतु नियत था, जो सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 से भिजवाए जाने के आदेश पारित करते हुए पत्रावली दिनांक 10.08.2011 को नियत करने के आदेश पारित किए। इस दिनांक से पूर्व ही वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व तलब की गई, जिसमें वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की बहस सुनना अंकित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसमें अधिवक्तागण द्वारा दिनांक 11.07.2011 को प्रस्तुत आपसी सहमति से प्रस्तुत बंटवाडा अनुसार तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करने हेतु तहसीलदार देसूरी को निर्देश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दिए गए। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार देसूरी द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से की भूमि का विभाजन किया गया तथा अन्य सह खातेदारान् के मध्य भूमि शामलाती रूप से दो भागों में विभक्त की गई। इस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.2011 को अन्तिम डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत हुई, जिसमें दिनांक 27.06.2013 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण में जारी प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि समस्त पक्षकारान की तामील के पश्चात, सभी पक्षकार सहमत हो तो बंटवाडा लिखत दिनांक 06.07.08 के अनुरूप प्राथमिक डिक्री पारित करें अन्यथा मैरिट पर निर्णय एवं डिक्री पारित की जावे। इस निर्णय की पालना में दिनांक 11.03.2013 को प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात दिनांक 18.04.2016 को प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने एवं प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में नियत करते हुए बिना प्राथमिक डिक्री पारित किए बंटवाडा लिखत दिनांक 06.07.2008 के अनुसार अन्तिम डिक्री पारित की गई। इस अनुक्रम में जैर अपील निर्णय एवं डिक्री तथा आपसी लिखत बंटवाडा दिनांक 06.07.2008 का तुलनात्मक अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.07.2011 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया, उसे विभाजन प्रस्ताव के हू–ब–हू अन्तिम निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। जबकि इस प्राथमिक डिक्री को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.06.2013 को निर्णय पारित करते हुए निरस्त किया जा चुका था, इस कारण उक्त डिक्री की पालना में जो विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, वह प्रभावहीन था। उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय पारित किया जाना, विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित करने में न तो न्यायालय हाजा द्वारा अपील में पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों की पालना की एवं न ही विधिक प्रावधानों की पालना की। जिस विभाजन प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, प्रथम तो वह विभाजन प्रस्ताव जिस निर्णय की पालना में पारित किया गया, उस निर्णय को ही निरस्त किया जा चुका था, तो वह विभाजन प्रस्ताव ही शून्य प्रभावी था। द्वितीय उक्त विभाजन प्रस्ताव में अंकित इबारत का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, जिस पर तहसीलदार द्वारा मात्र हस्ताक्षर करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। जहां तक विधिक रूप से विभाजन का प्रश्न है, तो विभाजन के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के अनुसार उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किया जाना आज्ञापक है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 में सक्षम न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन करने का प्रावधान निम्न प्रकार है – S..20 of RAJASTHAN TENANCY (Revenue Board) Rules, 1955 - 20 DIVISION OF HOLDING BY DECREE.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Same as provided in Rule 19 in a division of holding by the decree or order of a competent court passed in a suit by one or more of the co-tenant for the purpose of dividing the holding the distributing the rent thereof over the several portions into which it is divided the following principles shall be observed:-

(a) The valuation of the portion allotted to each party shall be proportionate to his share in the holding.

(b) The portion allotted to each party shall be as compact as possible.

(c) As far as possible, no party shall be given all the inferior or all the superior quality of land.

(d) As far as possible, existing fields shall not be split up.

(e) Plots which are in the separate possession of a tenant shall, as far as possible, be allotted to the tenant, if they are not in excess of his share.

Division of Holding by Agreement or by Order of Court"

नियम 21 में नक्शा बनाना और उपविभाजित खेतों का अंकन करने का प्रावधान इस प्रकार है कि तहसीलदार नक्शा बनाएगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भूखण्ड अलग–अलग रंगों से दिखाया जायेगा और किसी खेत को उपविभाजित किया गया है, तो वह पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार ही नहीं किया गया तथा इस आधार पर यदि प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित की जाती है, तो यह एक नए वाद का सृजन करेंगा। इस सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल की मुख्य पीठ द्वारा आर0आर0डी0 2017 पेज 679 में निम्न अभिमत प्रकट किया है –

Rajasthan Tenancy (Board of Revenue) Rules , 1955, Rules 18 to 21 - Reference - Preparation of proposal for division by Tehsildar - Question for consideration is whether under Rules 18 to 21 of Rajasthan Tenancy (Board of Revenue) Rules , 1955, proposal for division to be prepared by Tehsildar is mandatory or Tehsildar may sub-delegate his administrative power in respect of preparation of proposal for division - Held, it is mandatory for Tehsildar that he himself inspect site and prepare proposal for division of holdings - He may entrust ministerial work to its subordinate Naib Tehsildar, ILR or Patwari etc., for preparation of map and demarcation of sub-divided field and filing of colours - Imperative upon Tehsildar that he himself prepare report under his seal and signature, he can not forward report prepared by ILR, Patwari and draftsman without application of his mind - Directions to SDO to ensure that report submitted before him prepared by Tehsildar as per law and if report not prepared by Tehsildar himself then SDO to return it to Tehsildar for preparation of report - Direction to Registrar, Board of Revenue to send copy of judgment to all concerned for compliance and action.

उपरोक्त न्याय निर्णय से यह स्थिति प्रकट होती है कि नियम 18 से 21 में जो प्रावधान प्रदत्त है, उसके अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार ही अधिकृत है, जिसके द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त हस्तगत निर्णय लोक अदालत में पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या पक्षकारान की अनुपस्थिति में एवं पक्षकारान् की सहमति के बिना लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय विधि सम्मत है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" bldk foLr`r foospu bl izdkj fd;k gS fd ^^The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारान में सहमति के बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2011 गेना बनाम ओगड़राम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2016 एवं दिनांक 08.07.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के आधार पर जांच कर पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली